



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : प्रयागराज, जनपद : फतेहपुर, तहसील : बिन्दकी

वाद संख्या :- 5706/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202202250205706


सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरमपुर प्रबंधक बल्देव प्रसाद बनाम 30प्र0सरकार
अतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

वादी द्वारा नियमानुसार भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिन्दकी में दिनांक 18-10-2022 को चालान नं०-2101/01/जे आई 00006 से मु० 17490/-रूपये तथा इतनी ही धनराशि का भारतीय कोर्ट फीस जमा किया है, जो पत्रावली पर संलग्न है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का भली प्रकार से अवलोकन किया गया एवं संलग्न तहसीलदार बिन्दकी की जांच आख्या का परिशीलन किया गया, जिससे परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

अतः ग्राम बैरमपुर परगना कोटिया गुनीर तहसील बिन्दकी जिला फतेहपुर की खतौनी सन् 1426-1431 फसली के खाता संख्या 193 की गाटा संख्या 98/0.650,99/0.5260,100/0.4290,114/0.0730 कुल 4 किता रकबा 1.0930 हे० भूमि में कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार बिन्दकी की आख्या दिनांक 21.09.2022 आदेश का अंग होगा। तदनुसार अभिलेखों में अंकन हो। आदेश की एक प्रति उप निबंधक बिन्दकी को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।


उप जिलाधिकारी
बिन्दकी।